न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

प्रार्थना पत्र/सरफेसी एक्ट/2024/03

बैंक ऑफ महाराष्ट्रा शाखा जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी विशाल वर्मा

......प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स विनोद फैशन्स, 05 नन्द किशोर गोयल प्रिन्स प्लाजा, ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर
2. श्री विनोद भारद्वाज पुत्र गणपत स्वरूप
3. श्री गणपत स्वरूप भारद्वाज पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद

} निवासी 5/26 जवाहर नगर, भरतपुर, राजस्थान

4. श्री विनोद भारद्वाज पुत्र गणपत स्वरूप, 100/भारत विहार जामडोली, आगरा रोड जयपुर

......अप्रार्थीगण/ऋणी

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रशन ऑफ फाईनान्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात एक्ट से संशोधित किया गया है बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

आदेश

दिनांक 13.03.2024

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र सिक्योरिटाईजेशन एक्ट की धारा 14 के अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियन 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 14.10.2021 को जरिये ऋण करार सं0 60397954729 एवं 60397952007 से क्रमशः राशि रू. 85,00,000/— एवं राशि रू. 31,40,000/— कुल राशि 1,16,40,000/— (शब्देन एक करोड सोलह लाख चालीस हजार रू. मात्र) का ऋण स्वीकृत किया गया था। परन्तु अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा लिये गये ऋण को समय पर नहीं चुकाये जाने के कारण ऋण के एवज में प्रार्थी बैंक के हक में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति आवासीय प्लाट नं0 09 (Old), 5/26 (New), जवाहर नगर, नीयर घना रोड़, भरतपुर राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 629.68 वर्गगज है, जो कि श्री गणपत स्वरूप शर्मा पुत्र द्वारिका प्रसाद के स्वामित्व में है पर भौतिक कब्जा दिलाये जाने हेतु पेश किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से जाहिर आया कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी की अचल सम्पत्ति आवासीय प्लाट नं0 09 (Old), 5/26(New),

1.....

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रार्थना पत्र/सरफेसी एक्ट/2024/03
बैंक ऑफ महाराष्ट्रा बनाम मै. विनोद फैशन्स व अन्य

जवाहर नगर, नीयर घना रोड़, भरतपुर राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 629.68 वर्गगज है को बंधक रखी जाकर बैंक के हक में बंधक अभिलेख निष्पादित किया गया था। जिसके एवज में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 14.10.2021 को जरिये ऋण करार सं0 60397954729 एवं 60397952007 से क्रमशः राशि रू. 85,00,000/– एवं राशि रू. 31,40,000/– कुल राशि 1,16,40,000/– (शब्देन एक करोड सोलह लाख चालीस हजार रू. मात्र) का ऋण स्वीकृत किया गया था। परन्तु अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा बंधक अभिलेखानुसार ऋण का भुगतान नहीं किया गया है। जिसके कारण प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 22.03.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग 60 दिन में, बकाया ऋण राशि रू. 1,16,37,318/– (शब्देन एक करोड सोलह लाख सैंतीस हजार तीन सौ अठारह रू. मात्र) एवं इस दिनांक के बाद की ब्याज व अतिरिक्त खर्चे लागत इत्यादि जमा कराये जाने हेतु दिनांक 11.04.2023 को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी किया गया है। साथ ही दिनांक 30.05.2023 के समाचार पत्र Business Standard एवं पंजाब केसरी में भी नोटिस प्रकाशित करवाया गयां है। अप्रार्थी/ऋणी द्वारा निर्धारित समयावधि 60 दिवस समाप्त होने के पश्चात भी कोई राशि जमा नहीं कराई गई है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा ऋण अभिलेख निष्पादित करते समय बैंक के हक में बंधक रखी गई आवासीय अचल सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के हक में भौतिक कब्जा दिया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि:–

उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। साथ ही अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा ऋण लेते समय प्रार्थी बैंक के हक में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति आवासीय प्लाट नं0 09 (Old), 5/26 (New), जवाहर नगर, नीयर घना रोड़, भरतपुर राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 629.68 वर्गगज है, जिसका बंधक अभिलेख निष्पादित किया गया था। उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता कि प्रार्थी बैंक द्वारा भौतिक कब्जा लेते समय प्रार्थी बैंक के स्वयं के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

जिलाधिकारी कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर